म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

राजीव गाँधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल

मेल : mpstcomm@gmail.com

रामलाल रौतेल
अध्यक्ष

म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा 9 (1) के तहत सौंपे गये कृत्यों के पालन करने के लिये आयोग को धारा 10 के अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है

क्रमांक/ 1825/ दिनांक 07/08/2026

प्रति.

माननीय डॉ. मोहन यादव जी
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन

विषय: श्रीमती नेहा मारव्या, संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं को वर्तमान पद से स्थानांतरित करने तथा विभागीय योजनाओं के पारदर्शी संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि **'आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी संघ'** द्वारा आयोग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर गंभीर अनियमितताओं एवं प्रशासनिक अवरोधों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।

संघ के अनुसार, श्रीमती नेहा मारव्या (संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं) के पदभार ग्रहण करने के पश्चात से शासन द्वारा जनजातीय वर्ग के हित में चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर उदासीनता बरती जा रही है।

मुख्य बिंदु एवं शिकायतें निम्नानुसार हैं:

1. आहार अनुदान योजना का अवरोध:विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की महिलाओं के हित में संचालित इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500/- की सहायता राशि प्रदान की जाती है। किंतु वर्तमान में उक्त राशि का वितरण बंद कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप PVTG वर्ग की महिलाएं आर्थिक एवं पोषण संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं तथा योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।

म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

राजीव गाँधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल
मेल : mpstcomm@gmail.com

रामलाल रौतेल
अध्यक्ष

म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा 9 (1) के तहत सौंपे गये कृत्यों के पालन करने के लिये आयोग को धारा 10 के अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है

क्रमांक/ /   दिनांक ....

2. **केंद्र सरकार की योजनाओं (PM-JANMAN, SPMU/DPMU आदि) का निष्पादन न होना:**भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं (जैसे—पीएम जनमन, धारा 275(1), DAJGUA, SPMU एवं DPMU) को शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार के बजटीय लाभों से जनजातीय हितग्राही वंचित हो रहे हैं।
3. **अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न:**संबंधित कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनावश्यक स्पष्टीकरण जारी कर तथा निलंबन व बर्खास्तगी की धमकियां देकर भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
4. **कार्यालयीन व्यवस्था में व्यवधान एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप:**कार्यालय की शाखाओं के प्रवेश द्वारों को अकारण बंद कराकर आवागमन बाधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शासकीय बजट से व्यक्तिगत उपयोग हेतु सामग्रियां क्रय कर शासकीय धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी संज्ञान में आए हैं।

लेख है कि उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनुरोध है कि भविष्य में उन्हें जनजातीय कार्य विभाग अथवा जनजातीय हितों से संबंधित किसी पद पर पदस्थ न किए जाने के संबंध में विचार किया जाए। उपरोक्तानुसार आयोग को प्राप्त शिकायत-पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अभ्यावेदन एवं आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर श्रीमती नेहा मारव्या का जनजातीय कार्य विभाग से स्थानांतरण कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

7.8.26

(रामलाल रौतेल)
अध्यक्ष